

1
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 914 / 2022

तारीख रजु : 23 8-22

दावा तकारमा बाबत रयायी निवेधाना

गिशल आईडी नम्बर 2022/131

उनवान

श्याम पुत्र करण जाति ब्राह्मण निवासी स्वातीपुरा तहसील सूरीठ जिला करौली गजपथान

—वादीगण-05

बनाम

पूरुषोत्तम पुत्र किशोरी जाति ब्राह्मण निवासी स्वातीपुरा तहसील सूरीठ जिला करौली राजसथान

—प्रतिवादीगण-03

दिनांक

फर्द अहकाम

23/9
 यह दावा वादी की ओर से श्री मोहन अवरथी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को पेश हो।

(अनुर सिंह)

उप खण्ड अधिकारी
 हिण्डौन जिला करौली

27/9
 22

पत्रावली पेश हुई। कादी वकील उपस्थित।
 प्रतिवादी नं० 2 की तलबील जायत। प्रतिवादी
 नं० 2 कावपूद सूचना उपस्थित नहीं। यह:
 कादी खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही मामले
 में लागू जाती है। कादी वकील प्रतिवादी
 गण की तलबील देह हुआ: तलवावा पैदा
 करे। पत्रावली वारत तलवावा दि० 21-22
 को पेश की। ✓

5/12
 22

पत्रावली आप निम्नल तलबील के जाठ पत्रावली
 पेश हुई। कादी वकील उपस्थित। कादी
 वकील की अवगत कराया कि कादीगण
 उपकरण आगे नहीं चलवाया है। कादी
 गणकण नोटिस में आदिग करवाया जायत
 आत: मुकदमा नं० 284/22 का वरु श्याम बनाम
 पुरुषोत्तम पुत्र किशोरी रजु में आदिग कि या पालाई
 पत्रावली केवल हुआर बीकर लखनरुई मुकु

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (काँली)